"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161] रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 जून 2006—ज्येष्ठ 24, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जून 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/64/2006/वाक/पांच (55).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से निम्न संशोधन करती है :—

संशोधन

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-एक की प्रविष्टि क्रमांक 29 में शब्दों "धान्यों के चोकर" के पश्चात् शब्दों "एवं तेलरहित खली जिसमें सोयामील सम्मिलित है" जोड़े जाएं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2006

क्रमांक एफ-10/64/2006/वाक/पांच (55).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/64/2006/वाक/पांच (55) दिनांक 14-6-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 14th June 2006

NOTIFICATION

No. F-10/64/2006/CT/V (55).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes following amendment with effect from the date of publication in official gazette :—

AMENDMENT

In Schedule-I to the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), in entry No. 29 after the words "bran of cereal" the words "and de-oiled cake including soya meal" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/64/2006/वाक/पांच (56).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल को कॉलम (2) में दिये गये निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक की कालावधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है :—

संशोधन

माल का विवरण (1)	निर्बंधन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई (2)
केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 (6) में यथा विनिर्दिष्ट तिलहन.	जब तिलहन का छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) के अधीन पंजीबद्ध व्यवसायी द्वारा राज्य में स्थित साल्वेंट प्लांट में निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाय तथा निर्मित माल का विक्रय छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2006

क्रमांक एफ-10/64/2006/वाक/पांच (56).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/64/2006/वाक/पांच (56) दिनांक 14-6-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 14th June 2006

NOTIFICATION

No. F-10/64/2006/CT/V (56).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (1) subject to the restrictions and conditions specified in column (2) for the period from 1st April, 2006 to 31st March, 2007 from payment of tax under section 9 of the said Act :—

SCHEDULE

Class of goods (1)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (2)
Oil seeds as specified in section 14 (vi) of the Central Sales Tax Act, 1956.	When oil seeds are used as raw material by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) in the manufacture in the solvent plant within the state and manufactured goods are sold in the state of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.